

- 1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
- 2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर,
- 3-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:- विभाग के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

मुख्यालय पर सर्वश्री महारिया री-सरफेसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, काकादेव, कानपुर की पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि विभाग के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा टी०डी०एस० के जमा होने विषयक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराके आख्या प्रेषित की जानी थी, परन्तु इनके द्वारा अपेक्षित सत्यापन सम्बन्धी कार्यवाही न कराके अपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिससे मुख्यालय पर अनावश्यक कार्य का भार पड़ा और करनिर्धारण आदेश पारित होने से वर्तमान तक लगभग 10 वर्ष की अवधि में सत्यापन हुआ। यह स्थिति उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त प्रकार के प्रकरणों में अपने स्तर से समस्त अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत अवधि में पूर्ण कराया जाय तथा जिन मामलों में अनियमितता पायी जाय, उनमें दोष निर्धारित करते हुए मुख्यालय को सन्दर्भित करें। उक्त के अतिरिक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दें कि वे मुख्यालय के इस परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही सम्पादित करें और एतद् विषयक प्राप्त होने वाली सूचनाओं का सत्यापन करने में कदापि विलम्ब न करें। सत्यापन की कार्यवाही कराने में शिथिलता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष अपनाते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।

( हिमांशु कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृ०पत्र संख्या-व दिनांक उक्त।**

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3-अपर निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 4-समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।